राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 00365/2023

रमेश कुमार ताखर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सेक्सेना, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनरक्षक के पद पर रेज निवाई, टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज उनियारा, उन वन संरक्षक, टोंक में बिना किसी प्रशासनिक कारण के कर दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को एन.एच.आई. का वृक्षारोपण कार्य करने के लिए रेंज निवाई से रेंज उनियारा में स्थानान्तरित किया गया है लेकिन अपीलार्थी की रेंज निवाई नहीं है तथा अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 13.01.2023 के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि वह आदेश दिनांक 19.10.2022 के अनुसरण में परिक्षेत्र निवाई में कार्य व्यवस्था के आधार पर कार्यरत था परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई

कार्यवाही नहीं की गयी है। उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में वनरक्षक के पद पर रेज निवाई, टोंक में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वनरक्षक के पद पर रेंज निवाई, टोंक में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5 आलोच्य आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के अन्दर किया गया और वनपालक की वरिष्ठता भी

जिले के अन्दर ही संधारित होती है इस प्रकार अपीलार्थी की वरिष्ठता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होना दर्शित नहीं होता है इसप्रकार विभाग जिले के अन्दर स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल होना नहीं पाया जाता है।

6 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य